

29/03/23

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी अप. विधायी स. 12 के वकील अप. विधायी स. 12 के वकील द्वारा पूर्व में जवाब धरुत किया गया जिनमें शामिल पत्रावली किया जाता है। शेष विधायी गण को जवाब पेश करने के अनेक अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया किंतु अतः जवाब बंद किया जाता है। पार्थी वकील ने बहल सुनने का निवेदन किया। वकील पार्थी की बहल सुनी गई। बहल पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। लिखित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिनके आधार पर स्पष्ट पतीत होता है। कि पार्थी का पार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। अतः नवम बंदी निर्णय अलग से खिंचा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फंरल सुधार लेकर करिवल दफ्तर से लेख्या से कम है।

